प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 118/2023)

तत्काल प्रकाशन हेतु

<u>भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण</u>

दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम (टीसीसीसीपीआर) -2018 के अंतर्गत डिजिटल सहमति अधिग्रहण (डीसीए) का कार्यान्वयन।

नई दिल्ली, 07 नवंबर, 2023 - विभिन्न संस्थाएँ जैसे बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियाँ, व्यापारिक कंपनियाँ, व्यावसायिक संस्थाएँ, रियल एस्टेट कंपनियाँ आदि एसएमएस या वॉयस कॉल के माध्यम से दूरसंचार सब्सक्राइबरों को वाणिज्यिक संदेश भेजती हैं। भादूविप्रा के दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (टीसीसीसीपीआर-2018) में इन संस्थाओं को प्रधान इकाईयां (पीई) या प्रेषक के रूप में संदर्भित किया गया है।

2. अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) के माध्यम से स्पैम के खतरे को रोकने के अपने प्रयास में भादूविप्रा ने हाल के दिनों में कई उपाय किए हैं। इस अनुसरण में, भादूविप्रा ने सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं और प्रधान इकाईयों में उपभोक्ताओं की सहमति को डिजिटल रूप से पंजीकृत करने हेतु एक एकीकृत प्लेटफार्म और प्रक्रिया बनाने के लिए डिजिटल सहमति अधिग्रहण (डीसीए) की सुविधा को विकसित और तैनात करने हेतु सभी एक्सेस प्रदाताओं को टीसीसीसीपीआर-2018 के अंतर्गत दिनांक 02.06.2023 को दिशा-निर्देश जारी किया।

3. प्रचलित प्रणाली में, सहमति को विभिन्न पीई द्वारा प्राप्त किया जाता है और बनाए रखा जाता है। इसलिए, एक्सेस प्रदाताओं के लिए सहमति की सत्यता की जांच करना संभव नहीं है। इसके अलावा, उपभोक्ताओं के लिए सहमति प्रदान करने या उसे रद्द करने के लिए कोई एकीकृत प्रणाली उपलब्ध नहीं है। डिजिटल सहमति अधिग्रहण (डीसीए) प्रक्रिया में टीसीसीसीपीआर-2018 के तहत परिकल्पित प्रक्रियाओं के अनुसार ग्राहकों की सहमति माँगने, उसे बनाए रखने, और रद्द करने की सुविधा है। इस प्रकार एकत्र किया गया सहमति डेटा सभी एक्सेस प्रदाताओं द्वारा स्क्रबिंग के लिए वाणिज्यिक संप्रेषण हेतु टीसीसीसीपीआर-2018 के अंतर्गत स्थापित डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (डीएलटी) प्लेटफॉर्म पर साझा किया जाएगा।

4. सहमति मांगने वाले संदेश भेजने के लिए एक सामान्य शॉर्ट कोड 127xxx का उपयोग किया जाएगा। इस संक्षिप्त कोड के माध्यम से भेजे गए सहमति मांगने वाले संदेश में इसका उद्देश्य, सहमति का दायरा, और प्रधान इकाई/ ब्रांड के नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। सहमति मांगने वाले संदेशों में केवल श्वेतसूचीबद्ध यूआरएल/ एपीके/ ओटीटी लिंक/ कॉल बैक नंबर आदि का उपयोग किया जाएगा। उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले सहमति अहिग्रहण पुष्टिकरण संदेश में सहमति निरसन करने से संबंधित जानकारी भी होगी। इसके अलावा, एक्सेस प्रदाता किसी भी प्रधान इकाई द्वारा शुरू किए गए किसी भी सहमति के लिए अनुरोध करने वाले संदेश को प्राप्त करने हेतु उपभोक्ताओं की अनिच्छा को दर्ज करने के लिए एक एसएमएस/ ऑनलाइन सुविधा विकसित करेंगे।

5. इस बात पर विशेष रूप से प्रकाश डाला जाता है कि डीसीए के लागू होने के पश्चात, वैकल्पिक माध्यमों से प्राप्त की गई मौजूदा सहमतियाँ अशक्त और शून्य हो जाएंगी और सभी पीई को केवल डिजिटल माध्यमों से नई सहमतियाँ प्राप्त करनी होंगी।

6. सभी प्रधान इकाईयों से एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे दिनांक 02.06.2023 को जारी दिशा-निर्देश में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार डीसीए प्रणाली में शामिल होने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं।

7. इस मामले में किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी/ विवरण के लिए, पीई संबंधित एक्सेस प्रदाताओं से संपर्क कर सकते हैं।

ह्ा./-

(वी रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा

*****